

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक: प.8(3)राज/वाद/14पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 8-12-17

:: आदेश ::


श्री विनोद कुमार शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर की सेवा अवधि दिनांक 01.03.17 से दिनांक 28.02.18 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से


(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
7. जिला कलक्टर, अलवर।
8. कोषाधिकारी, अलवर।
9. श्री विनोद कुमार शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी, वादकरण।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(रीटा तेजपाल)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि